



PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

HEG/SECTT/2026

3rd April, 2026

1	BSE Limited P J Towers Dalal Street MUMBAI - 400 001. Scrip Code : 509631	2	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5 th Floor Plot No.C/1, G Block, Bandra - Kurla Complex Bandra (E), MUMBAI - 400 051. Scrip Code : HEG
---	---	---	--

Sub: Submission of Newspaper clippings regarding Notice of the meeting of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors as per directions of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench ("Tribunal") and E-Voting information

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with clause 12 of Para A of Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose herewith the newspaper clippings regarding notice for attention of the equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors of the Company, containing information in respect of the meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of HEG Limited to be convened on Tuesday, 5th May, 2026 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) as per the Orders of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench ("Tribunal") in Scheme of Arrangement amongst HEG Limited ("Company" or "Demerged Company" or "Transferee Company") and HEG Graphite Limited ("Resulting Company") and Bhilwara Energy Limited ("Transferor Company") and their respective shareholders and creditors ("Scheme"), in the following newspapers published on 3rd April, 2026:

1. **Business Standard (in English)** : All Editions
2. **Nav Bharat (in Hindi)** : Bhopal and Indore Editions

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HEG Limited**

Vivek Chaudhary
Company Secretary
A-13263
heg.investor@lnjbhilwara.com

Encl: As above

HEG LIMITED

Corporate Office :
Bhilwara Towers, A-12, Sector-1
Noida-201 301 (NCR-Delhi), India
Tel. : +91-120-4390300 (EPABX)
Fax : +91-120-4277841
GSTIN No.: 09AAACH6184K2Z6
Website : www.lnjbhilwara.com



Corporate Identification No.: L23109MP1972PLC008290

Regd. Office :
Mandideep (Near Bhopal)
Distt. Raisen - 462 046,
(Madhya Pradesh), India
Tel.: +91-7480-405500, 233524 to 233527
GSTIN No.: 23AAACH6184K1ZH
Website : www.hegltd.com

SPML INFRA LIMITED
 CIN: L40106WB1981PLC276372
 Registered Office: 22, Camac Street, Block-A, 3rd Floor, Kolkata - 700016
 Tel.: 033-40091200 | E-mail: cs@spml.co.in | Website: www.spml.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that pursuant to Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the rules made thereunder and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, SPML Infra Limited proposed the resolutions for approval of Members by Postal Ballot.

The Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") vide its General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 read with earlier Circulars, issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard ("MCA Circulars"), applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws and regulations, that the Company seeks approval of the Members, via Postal Ballot through remote e-voting process ("e-voting"). Accordingly, the Company has sent the postal ballot notice by e-mail to all the Members on Thursday, 2nd April, 2026 whose names appear on the Register of Members' List of Beneficial Owners on Tuesday, 31st March, 2026.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, 31st March, 2026 may cast their vote electronically (remote e-voting only) on the business as set out in the Notice of postal ballot through electronic voting system of National Securities Depository Limited.

The Company has appointed Mr. Tumal Maheshwari (Mem. No. 16464), Company Secretary in practice, as a Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot process, in a fair and transparent manner. In compliance with Section 103 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has offered e-voting facility, through National Securities Depositories Limited (NSDL) to enable the shareholders to cast their votes electronically. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Postal Ballot Notice. Shareholders can cast their vote online from Saturday, 04th April, 2026 at 09.00 A.M. IST and ends on Sunday, 03rd May, 2026 at 05.00 P.M.

Notice of Postal Ballot is also available on website of the Company, www.spml.co.in and NSDL, www.evoting.nsdl.com. Shareholders, who do not receive the Postal Ballot Notice by e-mail, may obtain the same by sending their request to RTA/NSDL. Results of the voting will be announced within two working days of the conclusion of the e-voting and hosted on the website of the Company at www.spml.co.in and on NSDL's website www.evoting.nsdl.com and also be communicated to NSE and BSE, where the shares of the Companies are listed.

In case of queries relating to remote e-voting / e-voting, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the downloads section of NSDL or contact at toll free no. 1800-1020-990 or send a request to www.evoting.nsdl.com please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, email: evoting@nsdl.co.in Tel: 1800 1020 990/1800-224-430

For SPML Infra Limited
 Swati Agarwal
 (Company Secretary)

Date: 02.04.2026
 Place: Kolkata

SAFARI INDUSTRIES (INDIA) LIMITED
 CIN: L25200MH1980PLC022812
 Registered office: 302-303, A Wing, "INDIA'S #1 LUGGAGE BRAND"
 The Qube, CTS No. 1498, A/2, Marol, Andheri (East), Mumbai 400059; (T) : +91 22 40381888 (F) : +91 22 40381850; (E) : investor@safari.in | (W) : www.safaribags.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
Special Window for transfer and dematerialization of physical shares

Notice is hereby given to shareholders that SEBI vide its Circular No. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 dated 30th January 2026 ("SEBI Circular"), has decided to extend the earlier Special Window opened vide Circular dated 2nd July 2025, to facilitate lodgement/re-lodgement of transfer deeds executed prior to 1st April 2019, including those previously rejected, returned or not attended to due to deficiencies documents/process or otherwise. The window is open for one year from 5th February 2026 to 4th February 2027 ("Special Window").

Kindly note that only those requests which shall be accompanied by original share certificate along with transfer deeds executed prior to 1st April 2019 and other supporting documents specified in SEBI Circular will be considered under this Special Window. Further, Securities processed under this Special Window will be credited only in Demat mode and will be subject to a mandatory lock-in period of one year from the date of registration of transfer.

Important Note: Cases involving disputes between transferor and transferee will not be considered in this Special Window and may be settled by transferor and transferee through court/ NCLT process. Further, securities which have been transferred to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") shall not be considered under this Special Window for processing.

Shareholders are encouraged to take advantage of this opportunity and avail this facility before 4th February 2027.

Initiative under IEPF Second 100 Days Campaign titled "Saksham Niveshak"

The Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), Ministry of Corporate Affairs (MCA) have re-launched the Second 100 Days Campaign "Saksham Niveshak" with effect from 1st April 2026 to 9th July 2026. This initiative aims to create awareness amongst investors and facilitate the resolution of pending issues relating to unclaimed dividends and shares transferred/ to be transferred to Investor Education and Protection Fund ("IEPF"), updation of KYC and nomination details and enable investors to claim their rightful entitlements.

Shareholders whose unclaimed dividends and shares are transferred to IEPF or KYC and nomination details are not updated are requested to visit the Company's website at www.safaribags.com >> Investor Contacts/ Downloads for further procedure. Shareholders are requested to contact the Company within the above-mentioned period at the registered office mentioned above or Email: investor@safari.in, for further assistance.

For SAFARI INDUSTRIES (INDIA) LIMITED
 RAMEEZ SHAHKI
 (Company Secretary)

Date : 2nd April 2026
 Place : Mumbai

*Source: Euromonitor International Limited; Personal Accessories 2026 ad; Luggage category; qbn; all retail channel, value rsp terms; 2025 data

ABC INDIA LIMITED
 CIN: L63011WB1972PLC217415
 Regd. Office: P-10, New C.I.T. Road, Kolkata - 700 073
 Corporate Office: 40/8, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700 019
 Phone: (033) 4008 1471
 Email: vmd@abcindia.com; Website: www.abcindia.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR FRESH LODGEMENT / RE-LODGE FOR TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES (2nd Reminder)

In view of new SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 dated 30th January, 2026, **Notice to Shareholders** is hereby given that, for ease of Doing Investment an **another Special Window** for Transfer and decartelization of physical Securities has been opened for **fresh lodgement** of shares sold/purchased & executed before 1st April, 2019 and also for **re-lodgement** of Transfer requests of Physical shares originally lodged prior to 1st April, 2019 and which were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents /process/or otherwise.

The aforesaid Special window was opened from 5th February, 2026 and will remain open till 4th February, 2027 and all such transfers shall be processed and would be mandatorily credited to the transferee(s) in demat mode only and shall be under lock in period of 1 (one) year from the date of registration by the RTA / Company and shall not be transferred/pledged during the said lock-in period.

Since the transferred shares will be issued only in demat mode once all the documents are found in order by the Company / RTA, the transferee(s) must have a demat account and submit the following documents viz; (a) Original share certificates (b) Transfer Deed executed prior to April 01, 2019 (c) Proof of purchase (d) KYC Documents (e) Latest client Master List (CML) not older than 2 months duly attested by DP & (f) Undertaking cum Indemnity as per prescribed format available in website of the Company while lodging the documents for transfer with the Company/RTA.

Eligible shareholder(s) may contact the Company or its Registrar and share Transfer Agent (RTA) viz. **MCS Share Transfer Agent Limited** at email id mcsta@rediffmail.com or their office address at 383 Lake Gardens, 1st Floor, Kolkata-700045, Tel. 033-40724051-54 or the Company at kamala.mishra@abcindia.com for further assistance.

For ABC India Limited
 Sanjay Agarwal
 (Company Secretary)

Date : 02-04-2026
 Place : Kolkata

PPAP AUTOMOTIVE LIMITED
 CIN: L74899DL1995PLC073281
 Registered Office: 54, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020
 Corporate Office: B-206A, Sector-81, Phase-II, Noida-201305, Uttar Pradesh
 Tel: +91-120-4093901
 Website: www.ppapco.in, E-mail ID: investorservice@ppapco.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE/MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with the SEBI circular no. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 dated January 30, 2026, all shareholders are hereby informed that another special window has been opened for a period of one year from February 05, 2026 to February 04, 2027, for transfer-cum-dematerialization of physical securities, which were sold/purchased prior to April 01, 2019.

Shareholders whose transfer deeds were lodged prior to April 01, 2019 and were rejected/returned/not attended to due to deficiency in documents or process, or those who had not lodged the transfer earlier, may submit the necessary documents as mentioned in the aforesaid Circular to Company's RTA, MUFG Intime India Pvt. Ltd. (Formerly Link Intime India Pvt. Ltd.) having office at Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, helpline no. +91 11 4941 1000.

A shareholder may raise a service request at https://web.in.mgms.mufg.com/helpdesk/service_Request.html, or send an email at investor.helpdesk@in.mgms.mufg.com.

The Securities so transferred shall be mandatorily credited only in dematerialized mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien marked/pledged during the said lock-in period. For clarity with regard to applicability of this window, the matrix below may be referred to:

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for transfer before April 01, 2019?	Original Security Certificate Available?	Eligible under Current Window
Before April 01, 2019	No (Fresh lodgement)	Yes	✓
Before April 01, 2019	Yes (Rejected/Returned earlier)	Yes	✓
Before April 01, 2019	Yes	No	X
Before April 01, 2019	No	No	X

Further, the following cases will not be considered under the window for processing:
 1. Cases involving disputes between transferor and transferee.
 2. Shares which have been transferred to Investor Education and Protection Fund ("IEPF").
Note: All the shareholders are requested to update their KYC Details with Company/RTA/Depository Participants.

For PPAP Automotive Limited
 Pankhuri Agarwal
 (Company Secretary & Compliance Officer)

Place : New Delhi
 Date : 02 April, 2026

HEG LIMITED
 CIN: L23109MP1972PLC008290

Regd. Office: Mandideep (Near Bhopal), Dist. Raissen-462 046, (M.P.), Phone: 07480-233524, 233525 Fax : 07480-233522
 Corp. Office: Bhillwara Towers, A- 12, Sector - 1, Noida - 201 301, (U.P.), Phone: 0120-4390300 (EPABX), Fax: 0120-4277841,
 E-mail: heg.investor@injbhillwara.com; Website: www.heg ltd.com

IN THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, INDORE BENCH, DIVISION BENCH CA(CAA)/01/MP/2026

IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND IN THE MATTER OF COMPOSITE SCHEME OF ARRANGEMENT AMONGST HEG LIMITED AND HEG GRAPHITE LIMITED AND BHILWARA ENERGY LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

HEG Limited, a company incorporated under Companies Act, 1956, having corporate identification number CIN: L23109MP1972PLC008290, and its registered office at Mandideep Near Bhopal, Dist Raissen, Madhya Pradesh - 462 046, India.

... Company/ Demerged Company/ Transferee Company/

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE CONVENING MEETINGS OF THE EQUITY SHAREHOLDERS, THE SECURED CREDITORS AND THE UNSECURED CREDITORS OF THE COMPANY

Notice is hereby given that by an order dated March 26, 2026 ("Tribunal Order"), the Indore Bench of the National Company Law Tribunal ("Tribunal") has directed the meetings to be held of the equity shareholders, the secured creditors and the unsecured creditors of the Company, for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the proposed Composite Scheme of Arrangement amongst HEG Limited and HEG Graphite Limited and Bhilwara Energy Limited and their respective shareholders and creditors ("Scheme") under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("Act").

In pursuance of the Tribunal Order and as directed therein, and in compliance with the applicable provisions of the Act and other applicable laws, further notice is hereby given that meetings of the equity shareholders, the secured creditors and the unsecured creditors of the Company will be held through video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM").

Further, notice is hereby given that meetings of the equity shareholders, the secured creditors and the unsecured creditors of the Company will be held as given hereunder:

Sr. No.	Meeting of	Day and Date of meetings	Time of meetings
1.	Equity shareholders	Tuesday, May 5, 2026	2:00 p.m. (IST)
2.	Secured creditors	Tuesday, May 5, 2026	3:30 p.m. (IST)
3.	Unsecured creditors	Tuesday, May 5, 2026	4:30 p.m. (IST)

Notices of the aforesaid meetings together with the copy of the Scheme, explanatory statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 ("CAA Rules") and accompanying documents have already been sent to the equity shareholders (as on March 27, 2026), the secured creditors (as on December 31, 2025) and the unsecured creditors (as on December 31, 2025), respectively. The said Notice along with accompanying documents have been sent by electronic mail (i) to those equity shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository participant(s) / Depositories; (ii) to all those secured creditors whose email addresses are registered with the Company; and (iii) to all those unsecured creditors whose email addresses are registered with the Company. Further, the equity shareholders, the secured creditors and the unsecured creditors whose email addresses are not available with the Company or who have not received the notice convening the said meetings through electronic mail can access or download the respective notices from the website of the Company at www.heg ltd.com.

The notice of the aforesaid meetings together with the copy of the Scheme, explanatory statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the CAA Rules and accompanying documents are also placed on the website of the Company www.heg ltd.com, the website of NSDL, being the agency appointed by the Company to provide remote e-voting and e-voting at the meeting and other facilities for convening the meeting viz. www.evoting.nsdl.com and those of the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited ("BSE") viz. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India ("NSE") viz. www.nseindia.com. If so desired, the equity shareholders / the secured creditors / the unsecured creditors may obtain a physical copy of the Notice and the accompanying documents, i.e., Scheme and the statement under Section 230 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the CAA Rules, free of charge. A written request in this regard, along with the details of shareholding in the Company may be addressed to the Company Secretary of the Company at heg.investor@injbhillwara.com.

The Tribunal has appointed Mr. Ritesh Kumar Sharma, Advocate as the Chairperson for the aforesaid meetings of the equity shareholders, the secured creditors and the unsecured creditors of the Company and Mr. S. Alam Khan, Practising Company Secretary as the Scrutinizer for the aforesaid meetings. The abovementioned Scheme, if approved by the equity shareholders, the secured creditors and the unsecured creditors of the Company at their respective meetings, will be subject to the subsequent sanction of the Tribunal and such other approvals, permissions and sanctions of regulatory or other authorities, as may be necessary.

Since the meetings of the equity shareholders, the secured creditors and the unsecured creditors of the Company are being held through video conference, physical attendance of the equity shareholders, the secured creditors and the unsecured creditors have been dispensed with. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the equity shareholders, the secured creditors and the unsecured creditors of the Company will not be available for the respective meetings.

The equity shareholders, the secured creditors and the unsecured creditors of the Company shall have the facility and option of voting on the respective resolutions for approval of the Scheme by casting their votes: (a) through e-voting system available at the respective meetings to be held through video conference ("e-voting"); or (b) by remote electronic voting ("remote e-voting") during the period as stated below:

The cut-off date for e-voting and time period for the remote e-voting of the aforesaid meetings is as under:

Equity shareholders meeting	
Cut off date for e-voting	Tuesday, 28 April 2026
Remote e-voting start date and time	Friday, 1 May 2026 at 9:00 a.m. (IST)
Remote e-voting end date and time	Monday, 4 May 2026 at 5:00 p.m. (IST)

Secured creditors meeting	
Cut off date for e-voting	Tuesday, 31 March 2026
Remote e-voting start date and time	Friday, 1 May 2026 at 9:00 a.m. (IST)
Remote e-voting end date and time	Monday, 4 May 2026 at 5:00 p.m. (IST)

Unsecured creditors meeting	
Cut off date for e-voting	Tuesday, 31 March 2026
Remote e-voting start date and time	Friday, 1 May 2026 at 9:00 a.m. (IST)
Remote e-voting end date and time	Monday, 4 May 2026 at 5:00 p.m. (IST)

An equity shareholder whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Tuesday, 28 April 2026, only shall be entitled to exercise his / her / its voting rights on the resolution proposed in the notice and attend the meeting of the equity shareholders. The voting rights of the equity shareholders shall be in proportion to their shareholding of the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date, i.e. Tuesday, 28 April 2026.

A secured creditor whose name is recorded in the list of secured creditors available with the Company as on the cut-off date, i.e., Tuesday, 31 March 2026, only shall be entitled to exercise his / her / its voting rights on the resolution proposed in the notice and attend the meeting of secured creditors. The voting rights of a secured creditor shall be in proportion to the outstanding amount due by the Company as on the cut-off date, i.e. Tuesday, 31 March 2026.

An unsecured creditor whose name is recorded in the list of unsecured creditors available with the Company as on the cut-off date, i.e., Tuesday, 31 March 2026, only shall be entitled to exercise his / her / its voting rights on the resolution proposed in the notice and attend the meeting of unsecured creditors. The voting rights of an unsecured creditor shall be in proportion to the outstanding amount due by the Company as on the cut-off date, i.e. Tuesday, 31 March 2026.

The Equity shareholders / Secured creditors / Unsecured Creditors may exercise their vote through only one-mode of e-voting i.e. either by remote e-voting or by e-voting at the VC/OAVM meeting. If they opt for remote e-voting, they may attend the VC/OAVM meeting but shall not be entitled to vote at the meeting. In the event they cast their votes through both modes, the votes cast through remote e-voting shall be considered valid and will prevail, and the votes cast at the VC/OAVM meeting shall be treated as invalid.

Equity shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depository Participants ("DPs") Registrar and Transfer Agents ("RTAs") are requested to get their email IDs registered with their concerned DPs in respect of shares held in demat mode and with RTA in respect of shares held in physical mode, by writing to them.

Equity shareholders/Secured creditors/ Unsecured creditors seeking any information with regard to the Scheme or the matter proposed to be considered at the aforesaid Meetings, are requested to write an application through their registered email ID in advance at least 7 (seven) days before the date of the meeting mentioning their name, Demat Account Number (DP ID and Client ID) / Folio Number, email ID, PAN and mobile number to the Company at heg.scheme26@injbhillwara.com.

In case of queries relating to e-voting, equity shareholders/ secured creditors/ unsecured creditors may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, AVP, NSDL, at evoting@nsdl.com.

In case of any other queries equity shareholders/ secured creditors/ unsecured creditors may send their queries in advance at least 7 (seven) days before the date of the meeting mentioning their name, Demat Account Number (DP ID and Client ID) / Folio Number, email ID, mobile number and PAN at heg.scheme26@injbhillwara.com. These queries will be replied by the Company suitably.

Ritesh Kumar Sharma,
 Chairperson appointed for the meetings of the equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors of the Company

Dated: 02.04.2026

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR ISSUE TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. PUBLIC ISSUE OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Sheetal
 HERBAL

(Please scan this QR Code to view the Draft Prospectus)

SHEETAL MEDICARE PRODUCTS LIMITED
 Corporate Identity Number: U24230MH1997PLC105990

Our Company was incorporated as a private limited company under the name and style of 'Sheetal Medicare Products Private Limited under the Companies Act, 1956, pursuant to a Certificate of Incorporation dated February 19, 1997 issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra (RoC). Pursuant to a special resolution passed by our shareholders in the Extra Ordinary General Meeting held on November 07, 2024 our Company has been converted into a public limited company and the name of our Company was changed to 'Sheetal Medicare Products Limited and a fresh Certificate of Incorporation dated December 04, 2024 has been issued to our Company by the Central Processing Centre. For further details on the change in name and registered office of our Company, see "Our History and Certain Corporate Matters" on page 153 of this Draft Prospectus.

Registered Office: Survey No: 59, Dakiwali, Post Chamlia, Lohape Road, Tal. Wada, District Palghar - 421312, Maharashtra, India.
 Contact No.: +91 9755533306/ +91 9773592510 | E-Mail ID: secretarial@sheetalherbal.com | Website: www.sheetalherbal.com
 Contact Person: Ms. Alisha Togani, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: DEVENDRA SOMNATH PANDYA, KALPANA DEVENDRA PANDYA AND MITESH DEVENDRA PANDYA

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 23,00,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SHEETAL MEDICARE PRODUCTS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH UPTO 1,15,200 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF UPTO 21,85,200 EQUITY SHARES OF A FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] EACH FOR CASH AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS (THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 29.68 % AND 28.19% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

In terms of Rule 19(2)(b)(i) of the SCRR, this Issue is being made for at least 25% of the post-Issue paid-up Equity Share capital of our Company. This Issue is being made through Fixed Price Process and allocation in the Net Issue to the public will be made as per Regulation 253(3) of the SEBI ICDR Regulations, and in compliance with Chapter IX and other applicable provisions of SEBI ICDR Regulations, wherein a minimum 50% of the Net Issue is allocated for Individual Investors who apply for minimum application size and the balance shall be offered to individual applicants other than Individual Investors who apply for minimum application size and Other Investors including corporate bodies, institutions and Non-Institutional Applicants. However, if the aggregate demand from the Individual Investors who apply for minimum application size is less than 50%, then the balance Equity Shares in that portion will be allocated to the Individual Investors who apply for more than minimum application and vice-versa, subject to valid applications being received from them at or above the Issue Price. Additionally, if the Individual Investors who apply for minimum application size category is entitled to more than 50% on proportionate basis, the Individual Investors who apply for minimum application size shall be allocated that higher percentage. For details in this regard, specific attention is invited to "Issue Procedure" on page 287 of the Draft Prospectus. A copy will be filed with the Registrar of Companies as required under Section 26 and 32 of the Companies Act, 2013.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 247(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") to inform the public that the Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has filed a Draft Prospectus ("DP") with the SME Exchange, in this case being SME Platform of NSE ("NSE EMERGE"). Pursuant to Regulation 247(1) of SEBI ICDR Regulations, the DP filed with NSE shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of filing, by hosting it on the websites of NSE at www.nseindia.com the website of the Company at www.sheetalherbal.com and the Lead Manager at www.markcorporateadvisors.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DP to NSE in respect of disclosures made in the DP. The members of the public are requested to send a copy of the comments sent to NSE, to our Company and the Lead Manager at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by NSE and/or our Company and/or the Lead Manager on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DP with SME Platform of NSE ("NSE EMERGE"). Comments by post and email shall be accepted.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk, and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" on page 21 of the Draft Prospectus.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the Draft Prospectus should be made solely on the basis of the information contained in the Draft Prospectus, including the Risk Factors and other disclosures. The Equity Shares, when issued pursuant to the Prospectus, are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 153 of the Draft Prospectus. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them, see "Capital Structure" on page 64 of the Draft Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 MARK CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED Address : 404/1, The Summit, Sant Janabai Road (Service Lane), Off W. E. Highway, Vile Parle (East), Mumbai-400057, Maharashtra, India. Telephone: +91 22 26123207/08 E-Mail ID: smeipo@markcorporateadvisors.com Investor Grievance E-Mail ID: investorsgrievance@markcorporateadvisors.com Website: www.markcorporateadvisors.com Contact Person: Mr. Niraj Kothari SEBI Registration Number: INM000012128 CIN: U67190MH2008PTC181996	 BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Address: Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai- 400093. Telephone: +91 22 6263 8200 E-mail: ipo@bigshareonline.com Investor grievance email: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Mr. Asif Sayyed SEBI Registration No: INR000001385	 Ms. Alisha Togani Address: Survey No: 59, Dakiwali, Post Chamlia, Lohape Road, Tal. Wada, District Palghar - 421312. Telephone: +91 9773592510 Email: secretarial@sheetalherbal.com Website: www.sheetalherbal.com Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, Lead Manager or Registrar to the Issue, in case of any pre issue or post issue related problems, such as non receipt of letter of allotment, non- credit of allotted Equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Draft Prospectus dated March 31, 2026.

On behalf of the Board of Directors For Sheetal Medicare Products Limited
 Alisha Togani
 (Company Secretary and Compliance Officer)

Place: Mumbai
 Date: April 02, 2026

Sheetal Medicare Products Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake a public issue of its Equity Shares and has filed the Draft Prospectus dated March 31, 2026 with NSE. The Draft Prospectus is available on the website of NSE at www.nseindia.com and on the website of the LM, i.e., Mark Corporate Advisors Private Limited at www.markcorporateadvisors.com and the website of our Company at www.sheetalherbal.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" beginning on page 21 of the Draft Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Prospectus filed with NSE for making any investment decision.

The Equity Shares issued in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being issued and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and the applicable laws of the jurisdictions where those issues and sales are made.

There will be no public issuing of the Equity Shares in the United States.

AdBazz

समाप्त हो सकती है भारती की सदस्यता

देर रात तक विधानसभा सचिवालय में चलता रहा नियमावली पर मंथन

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 02 अप्रैल. धोखाधड़ी के मामले में विशेष अदालत द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने के फैसले के बाद आज दत्तिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त करने के संबंध में राज्य विधानसभा सचिवालय ने गहन मंथन किया. माना जा रहा है कि विधि विशेषज्ञों से अंतिम परामर्श के बाद इस संबंध में शुक्रवार को अंतिम फैसला लिया जा सकता है. विधानसभा सचिवालय ने सदस्यता समाप्त करने को लेकर



प्रतिवेदन तैयार कर लिया है. सूत्रों के अनुसार विधि और संविधान विशेषज्ञों ने गुरुवार को अदालत के फैसले के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से विचार किया. लेकिन देर शाम तक इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका. लगभग दहाई दशक पुराने

जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर लगाया आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रात्रि में सोशल मीडिया के जरिए कहा कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने के लिए प्रदेश भाजपा के इशारे पर रात को विधानसभा सचिवालय खोला गया. डॉ. मोहन यादव सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये पर जब मैंने और वरिष्ठ नेता श्री पी सी शर्मा ने आपत्ति उठाई तो पूरा तंत्र निरुत्तर हो गया. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र सवैधानिक संस्था के रूप में कार्यरत विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों का यह रवैया अस्वीकार्य है. हम भाजपा की इस राजनीतिक गुंडागर्दी और विधानसभा सचिवालय के दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हैं. कांग्रेस राजनीतिक दुर्भावना को इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेगी.

आपराधिक मामले में दिल्ली को दो वर्ष से अधिक को सजा सुनाए जाने पर संबंधित विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है. विधानसभा सचिवालय कानूनी प्रावधानों पर विचार कर रहा है.

11 विधायक, 5 पूर्व विधायक बने भाजपा प्रवक्ता

41 मीडिया पैनलिस्ट और 6 प्रदेश मीडिया विभाग में सदस्य बने

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 2 अप्रैल. प्रदेश भाजपा मीडिया विभाग ने गुरुवार को 11 विधायकों के साथ ही 5 पूर्व विधायकों को भाजपा प्रवक्ता की बड़ी जिम्मेदारी दी है. अब ये मौजूदा और पूर्व विधायक प्रदेश भाजपा का पक्ष मजबूती के साथ मीडिया के सामने रखेंगे. प्रवक्ताओं में श्रीमती अर्चना चिटनिस को बरकरार रखा गया है, वहीं तेजतर्रार विधायक सुश्री उषा ठाकुर भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाएंगी.

पूर्व विधायकों में यशपाल सिंह सिसोदिया को भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है. प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने 9 प्रदेश सह मीडिया प्रभारी के अलावा 41 मीडिया पैनलिस्ट और प्रदेश मीडिया विभाग में 6 सदस्य को भी तैनाती की है. नियुक्ति से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सूची को हरी झंडी दे दी थी. प्रदेश सह मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया, मिलन भागवत, आलोक दुबे, राकेश पण्ड्या,

प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट

बृजेश पाण्डे, योगेश गुप्ता, एड. गुंजन चौकसे, श्रीमती वंदना मातण्डत्रिपाठी, सत्येन्द्र जैन, शिवम शुक्ला, प्रेम व्यास, कर्नल ईशान आर. श्रीमती प्रियंका दुबे, श्रीमती स्वाति चोपड़ा, सुश्री नमिता अग्रवाल, महेश शर्मा, कृष्णगोपाल पाठक, शाहवर आलम, मोहित गर्ग, इंजी. अभय यादव, निशांत बिसेन, आदित्य दीक्षित, सागर कसेरा, अनिमेश भार्गव, श्रीमती रश्मि अग्रवाल, मनरवी पाटीदार, योगेश तिवारी, अविनाश पटवारी, संजय पाटीदार, सुबेधन दुबे, विकास जैन, सुश्री माही भजनी, डॉ. नितिन मोहन डेहरिया, एड. श्याम गंगराडे, डॉ. एसके तिवारी, विवेक सिन्हा, कमल वर्मा, सुमित रघुवंशी, विजय जोशी, सुरज खरे, जेपी मूलचंदानी, अर्चिता जोशी, सुमित पाण्डे, रिशांक तिवारी और गौरव कुलश्रेष्ठ.

राजलखन सिंह, विशाल बत्रा, पवन दुबे, श्रीकांत साहू और प्रदीप राजौरिया.

प्रदेश प्रवक्ता: श्रीमती अर्चना चिटनिस, कुंवर सिंह टेकाम, सुश्री उषा ठाकुर, गौरव पारधी, नीरज सिंह लोधी, प्रदीप जायसवाल, संतोष वरकडे, दिलीप परिहार, संजय शाह डॉ. योगेश पंडाये, श्रीमती छाया मोरे. ये सभी विधायक हैं. पूर्व विधायकों में कलसिंह भांबर, यशपाल सिंह सिसोदिया, घनश्याम पिरोनिया, रामलाल रौतेल, राजेन्द्र भारती को प्रवक्ता बनाया गया है. इसके अलावा डॉ. सनवर पेतेल वकफ

बोर्ड अध्यक्ष, डॉ. हितेश वाजपेयी पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी के साथ ही पंकज चतुर्वेदी, गुलरंज शेष, रूप पमनानी, विवेक गुप्ता, डॉ. दुर्गा केशवानी, अजय धवले, डॉ. दिव्यशा गुप्ता, राजेन्द्र सिंह ठाकुर, अजय यादव, श्रीमती मंजरी जैन, डॉ. वाणी अहलुवालिया, धैर्यवर्धन शर्मा, कल्पेश ठाकुर, वैभव शुक्ला और सचिन बघेल को भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है.

सदस्य प्रदेश मीडिया विभाग: नवीन चौधरी, नितिन द्विवेदी, योगेन्द्र शुक्ला, सुभाष शर्मा, दीपक बलेवा और अनिल कौरव.

प्रदेश भाजयुमो के पदाधिकारियों की घोषणा की गई देर रात

सात उपाध्यक्ष, दो महामंत्री और आठ मंत्री बनाए गए

भोपाल, 02 अप्रैल. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने गुरुवार देर रात

प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी. मृदुल मिश्रा, जय सूर्या, अनिल वर्मा, योगेंद्र सिंह ठाकुर, पवन शर्मा, विवेक शर्मा और विश्वप्रताप सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है.

राकेश परस्ते और विप्लव जैन को महामंत्री तथा घनश्याम सिंह, शशप्रताप सिंह

चौहान, आशीष झाला, कार्तिक मिश्रा, राहुल डिमोले, सुश्री श्रुति सिंह, राहुल भदौरिया और अंकित आर्य को मंत्री पद को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. कार्यालय मंत्री अमन राय और कोषाध्यक्ष प्रियांका जैन होंगे. मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी शोभित नाथ को दी गई है. प्रदेश पदाधिकारियों की कुल संख्या 56 है.

गैस, पेट्रोल की कालाबाजारी करने वालों पर करें कार्रवाई

सीएस ने वीसी के माध्यम से जिलों में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा की

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 2 अप्रैल. संपूर्ण प्रदेश में एलपीजी सहित अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की प्यास उपलब्धता है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पेट्रोलियम पदार्थों की सुगम उपलब्धता के लिए प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टरों से कहा है कि वे प्रतिदिन मानीटरिंग करें और जमाखोरी के साथ कालाबाजारी की शिकायतों पर त्वरित तथा सख्त कार्यवाही करें.

मुख्य सचिव जैन ने गुरुवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से

कलेक्टरों के साथ जिलों में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा की. बैठक में तय किया गया कि रायच स्तर और जिला स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता पर प्रतिदिन रिप्यू होगा. जैन ने पीएनजी लाइन वाले जिलों में अधिकाधिक घरेलू कलेक्शन देने के लिए संबंधित एजेंसियों को जिला प्रशासन से नियमित समन्वय करने के साथ ही कलेक्टरों से निर्देश दिए हैं कि वे एजेंसियों को वर्क फोर्स उपलब्ध करवाएँ. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के बीच पीएनजी की विशेषताओं का प्रचार-प्रसार करें, जिससे अगले 3 महीने की समय-सीमा में उन क्षेत्रों में अधिकतम घरों तक

जमा और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश

मुख्य सचिव जैन ने प्रदेश में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा की. उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के लागू करने के साथ भारी अर्थदंड और एजेंसियों पर आवश्यक होने पर निलंबन की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि एजेंसियों कई बार मुनाफे के लिए अपने कर्मियों से भी कालाबाजारी करवाती है. बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 3029 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं. 2,75,9 छोटे मारे गए हैं. दोषियों के विरुद्ध 11 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं. बैठक में बताया गया कि राज्य शासन को अतिरिक्त 10 फीसदी एलपीजी आवंटन प्राप्त हो चुका है. 27 मार्च को भारत सरकार द्वारा कॉमिश्नियल एलपीजी का अतिरिक्त 20 फीसदी आवंटन उद्योग जैसे-स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, ड्राई, केमिकल्स, प्लास्टिक आदि के लिए किया गया है और उद्योगों को कॉमिश्नियल गैस सप्लाई उक्त अनुसार की जा रही है. बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को केरोसीन आवंटन और एवं प्रत्येक जिले में 2 पेट्रोल पंपों का आकलन प्रक्रियाधीन है.

पाइप से गैस पहुंच सके. बैठक में पदार्थों की उपलब्धता और विगत एक माह में पेट्रोलियम आपूर्ति की समीक्षा की गई.

हनुमान जन्मोत्सव पर निकली ध्वज यात्रा

मंडीदीप, 2 अप्रैल. मंडीदीप में भगवान राम के भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया. पूजा-अर्चना, दर्शन के लिए हनुमान जी के मंदिरों में सुबह से ही भीड़ रही. प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर औद्योगिक क्षेत्र में वीर हनुमान को चोला चढ़ाकर उनकी पूजा की

गई. नगर में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य ध्वज शोभायात्रा का आयोजन किया गया. आयोजक जाखला धाम सरकार के द्वारा नगर के गणेश चौक के राम मंदिर से यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसका देर रात्रि समापन हुआ. उसके उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया. भव्य ध्वज

यात्रा में हनुमान को चलित झांकी शामिल थी. वहीं अलग अलग रूप में लंगूर ने बच्चों के मन को खूब मोहा. इस शोभायात्रा में जबलपुर के श्याम बैंड ने नगर के हजारां हनुमान भक्त को नाचने पर मजबूर कर दिया. श्याम बैंड के कलाकारों द्वारा एक से बढ़ कर एक प्रस्तुति दी गई.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संधारण संभाग क्रमांक-2, भोपाल			
निविदा सूचना 40 वर्ष 2025-26			
भोपाल, दिनांक 31/3/2026			
निविदा सूचना			
निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है. उल्लेखित कार का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है.			
क्र.	टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक
1.	2026_PWDRB_496304_1	सर्वेक्षण एवं निर्माण उपसंग्रहण के अंतर्गत वार इन्फो के विभिन्न आंतरिक मार्ग कुल लंबाई 10.00 कि.मी. में नवीनीकरण कार्य.	प्रथम
			244.56
उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भूतान करने के उपरान्त निविदा प्रारंभ (टेंडर डोक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा. निविदा प्रारंभ ऑनलाइन रूप से जमा करने की अंतिम तिथि 17/4/2026 जा सकता है. निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जाएगा. पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा.			
लो.नि.वि. संधारण संभाग क्रमांक-2.			

बैरसिया क्षेत्र में आज होगी बिजली कटौती

बैरसिया, 2 अप्रैल. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बैरसिया सबस्टेशन के 11 केबी टाउन फीडर का रखरखाव कार्य प्रस्तावित है. इस कारण शुक्रवार को बिजली सप्लाई बंद रहेगी. बैरसिया विद्युत सबस्टेशन के प्रबंधक संघर्ष पाराशर ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 33 / 11 केबी बैरसिया सबस्टेशन पर 11 केबी टाउन फीडर का रखरखाव कार्य होगा. इस टाउन फीडर से बिजली सप्लाई बंद रहेगी, जिससे भोपाल रोड, बस स्टैंड चौराहा, सिविल हॉस्पिटल, तहसील कैम्पस, ब्लॉक परिया, रेंज चौराहा, कोर्ट परिसर आदि की बिजली सप्लाई बंद रहेगी. आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकता है.

कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/63 / ई-टेंडरिंग/2025-26 सिंगरौली, दिनांक 02/04/2026
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत टेकेदारों से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्रमांक	जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य		निविदा प्रारंभ		निविदा की अंतिम तिथि
				समयावधि	लागत	मूल्य	EMD	
1	2026_UAD_496209_1	31-03-2026	Construction of WBM Road Various Places of Ward No 23	2 Months	26,41,290	5,000	50,000	30-04-2026
2	2026_UAD_495671_1	31-03-2026	Supply for Parsad office Almiraah-wooden Office Table Etc for Ward Office	2 Months	23,03,340	5,000	46,067	04/04/2026
3	2026_UAD_495916_1	30-03-2026	SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING AND 3 YEAR AMC OF DC FAST CHARGER FOR 2W, 3W, 4W etc. CHARGING	1. Month	9,50,000	2,000	19,000	13-04-2026
4	2026_UAD_495659_1	30-03-2026	Wiring Maintenance of Nagar Nigam CT/PT Urinals	3 Months	8,42,786	2,000	16,856	13-04-2026
5	2026_UAD_495650_1	30-03-2026	Water Supply within the Municipal Corporation limits, covering the Baidhan Zone, Rural Zone, and Navjeevan Vihar Zone	12 Months	6,50,000	2,000	13,000	13-04-2026
6	2026_UAD_495646_1	30-03-2026	Construction of CC Road in ward no.23	2 Months	45,07,500	5,000	50,000	04/05/2026
7	2026_UAD_495009_1	26-03-2026	Purchase of Uper Valve lower Valve set and Guide Valve	1 Month	7,95,000	2,000	15,900	09/04/2026
8	2026_UAD_494953_1	26-03-2026	Operation and Maintenance for 5 year of Water Supply and distribution System at MUNICIPAL CORPORATION, Singrauli	60 Months	3,08,89,560	15,000	3,08,895	27-04-2026
9	2026_UAD_494263_1	25-03-2026	Supply of PVC Wire 2.5MM, 10 MM, XLPE Insulated Power Cable, and Supply, Erection, Testing of Electric Ceiling Fan lInd call	2 Months	3,990,160	5,000	50,000	08/04/2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन <http://mptenders.gov.in> की वेबसाइट पर ही किया जाएगा. पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा.

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम सिंगरौली

HEG एचईजी लिमिटेड
CIN : L23109MP1972PLC008290

पंजीकृत कार्यालय: मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन-462046. (म. प्र.). फोन: 07480-233524, 233525; फैक्स: 07480-233522
कॉर्पोरेट कार्यालय: मीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301, (उ.प्र.). फोन: 0120-4390300 (ईपीएबीएक्स) फैक्स: 0120-4277841
ई-मेल: heg.investor@njbhilwara.com; वेबसाइट: www.heg ltd.com

माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इंदौर बेंच, डिजिटल बेंच के समक्ष
सीए(सीए)/01 / एमपी / 2026

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

तथा

एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं मीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य संयुक्त व्यवस्था की योजना के मामले में

एचईजी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी)
(जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या सीआईएन: L23109MP1972PLC008290)
(है, और इसका पंजीकृत कार्यालय मंडीदीप, भोपाल के नजदीक, जिला रायसेन,)
(मध्य प्रदेश - 462 046, भारत स्थित है।)

... कंपनी / विविलिग कंपनी / हस्तांतरित कंपनी

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठकों की आहूत सूचना और सूचना का विज्ञापन

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि 26 मार्च, 2026 के एक आदेश ("ट्रिब्यूनल ऑर्डर") के माध्यम से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ("ट्रिब्यूनल") की इंदौर बेंच ने एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं मीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके संबद्ध शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य संयुक्त व्यवस्था की योजना ("योजना") पर विचार, और उचित प्रतीत होने पर, संशोधन सहित अथवा उसके बिना अनुमोदन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230 से 232 के अंतर्गत कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।

ट्रिब्यूनल के आदेश एवं उसमें निहित निर्देशों के अनुसार, तथा अधिनियम के लागू प्रावधानों एवं अन्य लागू कानूनों के अनुपालन में, इसके अतिरिक्त सूचना दी जाती है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो उपकरणों ("ओवीवीएम") द्वारा आयोजित होगी।

इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक नीचे दिए गए तरीके से होगी:

क्र. संख्या	बैठकों का दिन एवं तिथि	बैठकों का समय	बैठकों का समय
1.	इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	मंगलवार, 5 मई, 2026	2:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)
2.	सुरक्षित लेनदारों की बैठक	मंगलवार, 5 मई, 2026	3:30 बजे अपराह्न (आईएसटी)
3.	असुरक्षित लेनदारों की बैठक	मंगलवार, 5 मई, 2026	4:30 बजे अपराह्न (आईएसटी)

उपरोक्त बैठकों की सूचना, योजना की प्रति, धारा 230 एवं 232 के साथ पठित धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण, एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों तथा कंपनी (समाप्ति, व्यवस्था (उपचार) और समाप्ति) नियम, 2016 ("सीए नियम") के विनियम 6 सहित संलग्न दस्तावेज पहले ही इक्विटी शेयरधारकों (27 मार्च, 2026 तक अनुसार), सुरक्षित लेनदारों (31 दिसंबर, 2025 तक अनुसार) तथा असुरक्षित लेनदारों (31 दिसंबर, 2025 तक अनुसार), क्रमशः, को भेजे जा चुके हैं। यदि इच्छा हो, तो इक्विटी शेयरधारक / सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मेल धारा (i) उन इक्विटी शेयरधारकों को, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिजिटल प्रतिभागी(सीओ)/प्रतिभागीयों के साथ पंजीकृत हैं, (ii) उन सभी सुरक्षित लेनदारों को जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं, एवं (iii) उन सभी असुरक्षित लेनदारों को जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं, को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों, जिनके ईमेल पते कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं या जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल से आहूत बैठक की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे कंपनी की वेबसाइट www.heg ltd.com से संबंधित सूचना अभिगमित या डाउनलोड कर सकते हैं।

उपरोक्त बैठकों की सूचना, योजना की प्रति, धारा 230 एवं 232 के साथ पठित धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण, एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों तथा सीएए नियम के विनियम 6 सहित संलग्न दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <https://heg ltd.com> एनएसडीएल, जो कंपनी द्वारा रिपोर्ट ई-वोटिंग एवं बैठक में ई-वोटिंग तथा आहूत बैठक हेतु अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त एजेंसी है, की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") अर्थात् www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ("एनएसई") अर्थात् www.nseindia.com पर भी उपलब्ध की गई है। यदि इच्छा हो, तो इक्विटी शेयरधारक / सुरक्षित लेनदार / असुरक्षित लेनदार सूचना एवं संलग्न दस्तावेज, अर्थात् योजना एवं धारा 230 के साथ पठित धारा 102 के अंतर्गत विवरण तथा धारा के अन्य लागू प्रावधानों तथा सीएए नियमों के विनियम 6 के अंतर्गत, मौखिक प्रति निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में कंपनी में शेयरधारिता के विवरण सहित एक लिखित आवेदन कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को heg.investor@njbhilwara.com पर भेजा जा सकता है।

ट्रिब्यूनल ने कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की उपरोक्त बैठकों हेतु श्री रिशेरा कुमार शर्मा, अधिवक्ता, को अध्यक्ष तथा संचालक कंपनी सचिव श्री एस. आलम खान को संचालक नियुक्त किया है। उक्त कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक बैठकों में अनुमोदित की जाती है, तो यह ट्रिब्यूनल के अनुमोदित अनुमोदन तथा अन्य नियामक या अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, अनुमति एवं संवीकृति के बिना-व्यवस्था होगी, जो वांछित हो।

शुद्धि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हो रही है, अतः इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की मौखिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों द्वारा प्रौक्त नियुक्त करने की सुविधा संबंधित बैठकों हेतु उपलब्ध नहीं होगी।

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों के पास योजना को अनुमोदित करने हेतु संबंधित प्रस्तावों पर वोट देने की सुविधा एवं विकल्प होगा: (अ) वीडियो कॉन्फ्रेंस ("ई-वोटिंग") के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठकों में उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा; या (आ) नीचे बताए गए समय के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") के द्वारा:

उपरोक्त बैठकों की ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि एवं रिमोट ई-वोटिंग की समयवधि नीचे दी गई है:

इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026
ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, 1 मई, 2026 9:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	सोमवार, 4 मई, 2026 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	
सुरक्षित लेनदारों की बैठक	मंगलवार, 31 मार्च, 2026
ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, 1 मई, 2026 9:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	सोमवार, 4 मई, 2026 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	

असुरक्षित लेनदारों की बैठक	मंगलवार, 31 मार्च, 2026
ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, 1 मई, 2026 9:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	सोमवार, 4 मई, 2026 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	

यह इक्विटी शेयरधारक जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर या डिजिटल प्रतिभागी द्वारा अनुरक्षित लागूनी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, मात्र वही सूचना में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने एवं इक्विटी शेयरधारकों की बैठक में सम्मिलित होने हेतु अधिकृत होगा। इक्विटी शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को कंपनी की प्रवक्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरधारिता के अनुसार ही होगा।

यह सुरक्षित लेनदार जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 31 मार्च, 2026 को कंपनी के पास उपलब्ध सुरक्षित लेनदारों की सूची में दर्ज है, मात्र वही सूचना

विधायक राजेंद्र भारती को जेल के बाद बेल

▶ राजेंद्र भारती को मिली थी 3 साल की सजा
▶ 27 साल पुराने जालसाजी मामले में कोर्ट का फैसला



राजिशा (120क) और धोखाधड़ी (420, 467, 468, 471) जैसी गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई है, जिसमें उनके साथ बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी माना गया है।

नियमत: दो साल से अधिक की सजा होने के कारण भारती की विधानसभा सदस्यता पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यदि वे अगले 60 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सजा पर स्थगना प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी विधायकी सुरक्षित रह सकती है। 3 मार्च 2011 को बैंक अध्यक्ष बने भाजपा नेता पप्पू

जबलपुर, म.प्र. में 27 प्रशासकीय आरक्षण के संबंधित दायर याचिकाओं पर 27 अप्रैल से तीन दिनों तक नियमित सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय पाठक तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सभी संबंधित पक्षकारों को नियमित सुनवाई के तीन दिन पूर्व तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये हैं। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रशासकीय आरक्षण दिये जाने पर रोक लगा दी थी। विपक्ष में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदौर साहनी तथा मराठा आरक्षण के संबंध में दायर याचिकाओं में स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्र.से अधिक नहीं होने चाहिये। कुछ याचिकाओं में याचिकाओं में फर्मूला 87 :13 को चुनौती देते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर आपत्ति की गयी थी। पक्ष में दायर की याचिकाओं में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की गयी थी। याचिकाओं पर पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में दायर एपलपी को म.प्र. हाईकोर्ट वापस भेजते हुए सुनवाई के निर्देश दिये थे।

विधायक संजय पाठक के खिलाफ दर्ज किया जाए अपराधिक अवमानना का प्रकरण : हाईकोर्ट

जबलपुर, 02 अप्रैल. हाईकोर्ट जज से सीधे संपर्क करने के मामले में भाजपा विधायक व पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक की सूचिका बढ गयी है। चीफ जस्टिस संजय पाठक और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने दायर याचिका की सुनवाई करते हुए विधायक संजय पाठक के खिलाफ अपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये हैं।

कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितम्बर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट



जस्टिस ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक को उससे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं। जस्टिस विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया था।

याचिका में कहा गया था कि विधायक का यह कृत्य न्यायपालिका को छवि को धूमिल करने तथा गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इस संबंध में याचिकाकर्ता की तरफ से संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई थी। उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका में विधायक संजय पाठक के खिलाफ कार्यवाही की मांग चाही गयी थी। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव और पुनीत श्रीती ने पैरवी की।



भाजपा संगठन महामंत्री ने ओंकारेश्वर में महादेव के दर्शन किए ओंकारेश्वर. भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने गुरुवार को ओंकारेश्वर में भगवान महादेव जी के दर्शन-पूजन कर देश-प्रदेश में खुशहाली और कल्याण की कामना की। इस अवसर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश शर्मा सहित जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नशे की हालत में मिलने पर शिक्षक सस्पेंड

सिंगरौली. शासकीय प्राथमिक पाठशाला मझौली टोला मझिगावां 2 में पदस्थ शिक्षक लखपति सिंह को कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह ने निलंबित कर दिया है। टोला मझिगावां-2 के शिक्षक लखपति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में पिछले माह 18 मार्च को वायरल हुआ था। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच किया, जहां शिक्षक शराब के नशे के हालत में था। शराब इतना पिया हुआ था कि वह ठीक से चलाना पा रहा था। स्कूली बच्चों एवं अभिभावकों से अभद्र भाषाओं का उपयोग कर रहा था, जिससे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। जांच के बाद जवाब न मिलने पर डीईओ ने शिक्षक को निलंबित कर दिया।

ओबीसी आरक्षण मामले में 27 से नियमित सुनवाई

पूर्व प्रबंधक और सहयोगी को सजा सीबीआई की अदालत ने पीयूष और मोहन को सात साल की सजा सुनाई

नयी दिल्ली, 02 अप्रैल. मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के पूर्व वरिष्ठ शाखा प्रबंधक और उसके सहयोगी को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने जेल की सजा सुनाते हुए दोनों आरोपियों-पीयूष चतुर्वेदी (जो उस समय बीओआई की मिसरोट शाखा, भोपाल के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक थे) और मोहन सिंह सोलंकी (एक निजी व्यक्ति) पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

आरोपियों ने किया था रकम का गबन ऋण मंजूर करने के बाद चतुर्वेदी ने अपने सह-आरोपी मोहन सिंह सोलंकी के साथ मिलकर साजिशा रची और ऋण की रकम एम/एस अजब कुमार इंडस्ट्रीज के खाते में स्थानांतरित कर दी। इस कंपनी की मालिक कृष्णा बाई सोलंकी (मोहन सिंह सोलंकी की पत्नी) थीं। इसके बाद आरोपियों ने उस रकम का गबन कर लिया, जिससे बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ और उन्हें गलत तरीके से फायदा पहुंचा। सीबीआई ने जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।

सीबीआई ने 2016 में बीओआई के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के तत्कालीन उप क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दायर एक लिखित शिकायत के आधार पर यह

रसोई गैस की किल्लत नहीं अव्यवस्था से जुझ रही जनता

छिन्दवाड़ा, 2 अप्रैल. म.प्र. के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ आज छिन्दवाड़ा पहुंचे। ईमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ व पुष्पहार भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। ईमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ से रसोई गैस की किल्लत पर प्रश्न किया। प्रत्युत में उन्होंने कहा कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। जिले, प्रदेश व देश की जनता सरकार द्वारा उत्पन्न की गई अव्यवस्थाओं का शिकार हो रही। इस अव्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेदार है।

कपूर त्रिपाठी को स्थानांतरण मामले में हाईकोर्ट से राहत

सिंगरौली, 02 अप्रैल. मोरवा थाने के पूर्व प्रभारी कार्यवाहक निरीक्षक कपूर त्रिपाठी को उनके स्थानांतरण मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। त्रिपाठी ने पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के खिलाफ 28 मार्च 26 को रिट पिटिशन दायर की थी। मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को सिंगल बेंच में न्यायाधीश मनिंदर एस. भाटी द्वारा की गई, जहां उन्हें राहत प्रदान की गई। वहीं, प्रकरण की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कपूर त्रिपाठी की ओर से सीनियर एडवोकेट के.सी. धिलिवाल के मार्गदर्शन में अधिवक्ता ब्रमंड पाठक, आतिश यादव, राममिलन साकेत सहित अन्य ने पक्ष रखा। अधिवक्ता आतिश कुमार यादव के अनुसार, न्यायालय से स्टे मिलने के बाद कपूर त्रिपाठी के दोबारा मोरवा थाना का प्रभार संभालने की

कपूर त्रिपाठी को स्थानांतरण मामले में हाईकोर्ट से राहत



स्थिति बन गई है। वहीं, आदेश की आधिकारिक प्रति प्राप्त करने के लिए उनके अधिवक्ता प्रक्रिया में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि कपूर त्रिपाठी को मोरवा थाना प्रभारी पद से करीब द्वाइं महीने के भीतर ही हटा दिया गया था। और उनका स्थानांतरण मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौरी (भोपाल) किया गया था, जिसे उन्होंने बिना पर्याप्त कारण बताते हुए न्यायालय में चुनौती दी थी। अब इस मामले में 8 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

3 फीसदी डीए बढ़ाने के आदेश भी जारी

शासकीय सेवकों को 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी दिया जाएगा भोपाल, 2 अप्रैल. वित्त विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के शासकीय सेवकों के 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक शासकीय सेवकों को 55 फीसदी डीए दिया जा रहा था, अब ये बढ़कर 58 फीसदी हो गया है। आदेश के मुताबिक तीन फीसदी की बढ़ोतरी एक जुलाई 2025 की अवधि से लागू होगी। प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक अप्रैल 2026 से बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा, यानी अप्रैल का वेतन जो कि मई में देय होगा, उसमें तीन फीसदी डीए बढ़कर मिलेगा। वहीं एक जुलाई 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर 6 समान किश्तों में मिलेगा। ये क्रमशः मई से लेकर अक्टूबर तक लगातार मिलते रहेगा। ऐसे शासकीय सेवक जो कि एक जुलाई 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की अवधि में रिटायर हुए हैं या मृत हो गए हैं, ऐसे मामलों में उन्हें या नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। तीन फीसदी डीए का फायदा प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक शासकीय सेवकों को मिलेगा।

पेंशनरों को डीआर के भी आदेश जारी



वित्त विभाग ने गुरुवार को पेंशनरों को भी महंगाई राहत देने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। देश के पेंशनरों को एक जनवरी 2026 से बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिलेगा। सातवें वेतनमान वाली का महंगाई राहत अब 3 फीसदी बढ़ गया है, इससे अब डीआर 55 से बढ़कर 58 फीसदी हो गया है। वहीं छठवें वेतनमान वाले पेंशनरों के डीआर में 5 फीसदी बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण अब ये 252 से बढ़कर 257 फीसदी हो गया है। इस आदेश से प्रदेश के लगभग 4.5 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।

तहसीलदार को प्रशासन ने किया सस्पेंड

▶ श्योपुर कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर की कार्रवाई
▶ बाढ़ राहत घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तार



गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही कलेक्टर अर्पित वर्मा ने उन्हें पद से हटा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार गुजारा मिला और उनका मुख्यालय भी निर्धारित किया जाएगा, जहां उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

भोपाल के खनन कारोबारी पर एफआईआर

जबलपुर, 2 अप्रैल. मझगावां थाना अंतर्गत ग्राम गिदुरहा में आयरन ओर (लोह अयस्क) के अवैध उत्खनन मामले में भोपाल निवासी विजय पटेल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम गिदुरहा तहसील सिहोरा की भूमि खसरा नंबर 708 के करीब 1.81 हेक्टेयर रकब में आयरन ओर का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही वीते 24 मार्च 2026 को नायब तहसीलदार सिहोरा द्वारा मौके पर छापाकार कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान अवैध खनन स्थल पर पोकेट में स्थानीय लोह अयस्क की खुदाई कर रहे पाए गए हाथों पकड़ी गई थी।

भोपाल के खनन कारोबारी पर एफआईआर

घोटाले का मामला सामने आया था। अमिता सिंह तोमर पर फर्जीबाड़ी कर अपात्र लोगों को मुआवजा बांटने के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज है और जांच जारी है। 26 मार्च को बड़ौदा बाढ़ राहत घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए श्योपुर की बड़ौदा पुलिस ने अमिता सिंह तोमर को ग्वालियर स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें न्यायिक हिरासत में शिवपुरी जेल भेज दिया गया, जहां वे पिछले पांच दिनों से बंद हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित है। अमिता सिंह तोमर श्योपुर जिले के विजयपुर में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं।

एचईजी लिमिटेड

CIN : L23109MP1972PLC008290

पंजीकृत कार्यालय: मंडीवीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन-462046, (म. प्र.), फोन: 07480-233524, 233525; फैक्स: 07480-233522
 कॉर्पोरेट कार्यालय: मीलवाड़ा टॉवर, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301, (उ.प्र.), फोन: 0120-4390300 (ईपीबीएक्स) फैक्स: 0120-4277841
 ई-मेल: heg.investor@lnjibhilwara.com; वेबसाइट: www.hegtdl.com

माननीय नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, इंदौर बेंच, डिजिटल बेंच के समक्ष
 सीए(सीए)/01/एमपी/2026

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के मामले में
 तथा

एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं मीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य संयुक्त व्यवस्था की योजना के मामले में

एचईजी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी)
 है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या सीआईएन: L23109MP1972PLC008290)
 है, और इसका पंजीकृत कार्यालय मंडीवीप, भोपाल के नजदीक, जिला रायसेन,)
 मध्य प्रदेश - 462 046, भारत स्थित है।)

... कंपनी / विहित कं.पनी / हस्तांतरित कं.पनी

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठकों की आहूत सूचना और सूचना का विज्ञापन

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि 26 मार्च, 2026 के एक आदेश ("ट्रिब्यूनल ऑर्डर") के माध्यम से, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल ("ट्रिब्यूनल") की इंदौर बेंच ने एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं मीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके संबद्ध शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य संयुक्त व्यवस्था की योजना ("योजना") पर विचार, और उचित प्रतीत होने पर, संशोधन सहित अथवा उसके बिना अनुमोदन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), की धारा 230 से 232 के अंतर्गत कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।

ट्रिब्यूनल के आदेश एवं उसमें निहित निर्देशों के अनुसार, तथा अधिनियम के लागू प्रावधानों एवं अन्य लागू कानूनों के अनुपालन में, इसके अतिरिक्त सूचना दी जाती है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा आयोजित होगी।

इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक नीचे दिए गए तरीके से होगी:

क्र. संख्या	संबद्ध	बैठकों का दिन एवं तिथि	बैठकों का समय
1.	इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	मंगलवार, 5 मई, 2026	2:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)
2.	सुरक्षित लेनदारों की बैठक	मंगलवार, 5 मई, 2026	3:30 बजे अपराह्न (आईएसटी)
3.	असुरक्षित लेनदारों की बैठक	मंगलवार, 5 मई, 2026	4:30 बजे अपराह्न (आईएसटी)

उपरोक्त बैठकों की सूचना, योजना की प्रति, धारा 230 एवं 232 के साथ पठित धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण, एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों तथा कंपनी (समझौते, व्यवस्था (उद्धार) और समालोचन) नियम, 2016 ("सीएए नियम") के विनियम 6 सहित संलग्न दस्तावेज पहले ही इक्विटी शेयरधारकों (27 मार्च, 2026 तक अनुसार), सुरक्षित लेनदारों (31 दिसंबर, 2025 तक अनुसार) तथा असुरक्षित लेनदारों (31 दिसंबर, 2025 तक अनुसार), क्रमशः को भेजे जा चुके हैं। कथित सूचना सहित संलग्न दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक भेज धारा (i) उन इक्विटी शेयरधारकों को, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)/प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं, (ii) उन सभी सुरक्षित लेनदारों को जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं, (iii) उन सभी असुरक्षित लेनदारों को जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं, को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों, जिनके ईमेल पते कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं या जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक भेज से आहूत बैठक की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे कंपनी की वेबसाइट www.hegtdl.com से संबंधित सूचना अभिगमित या डाउनलोड कर सकते हैं।

उपरोक्त बैठकों की सूचना, योजना की प्रति, धारा 230 एवं 232 के साथ पठित धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण, एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों तथा सीएए नियम के विनियम 6 सहित संलग्न दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.hegtdl.com, एनएसडीएल, जो कंपनी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग एवं बँटव के ई-वोटिंग तथा आहूत बैठक हेतु अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त एजीसी है, की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") अर्थात् www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ("एनएसई") अर्थात् www.nseindia.com पर भी उपलब्ध की गई है। यदि इच्छा हो, तो इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार एवं संलग्न दस्तावेज, अर्थात् धारा 102 के अंतर्गत विवरण तथा धारा 102 के अंतर्गत विवरण तथा धारा 102 के अंतर्गत विवरण तथा धारा 102 के अंतर्गत विवरण के विनियम 6 के अंतर्गत, भौतिक प्रति नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में कंपनी में शेरधारिता के विवरण सहित एक लिखित आवेदन कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को heg.investor@lnjibhilwara.com पर भेजा जा सकता है।

ट्रिब्यूनल ने कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की उपरोक्त बैठकों हेतु श्री रीतेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता, को अध्यक्ष तथा संचालक कंपनी सचिव श्री एस. आरम खान को संयोजक नियुक्त किया है। उपरोक्त योजना, यदि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की संबद्ध बैठकों में अनुमोदित की जाती है, तो यह ट्रिब्यूनल के अनुमोदित अनुमोदन तथा अन्य नियामक या अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, अनुमति एवं संस्वीकृत के विषय-स्वरूप होगी, जो वांछित हो।

चूंकि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हो रही है, अतः इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों द्वारा प्रांसी नियुक्त करने की सुविधा संबंधित बैठकों हेतु उपलब्ध नहीं होगी।

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों के पास योजना को अनुमोदित करने हेतु संबंधित प्रस्तावों पर वोट देने की सुविधा एवं विकल्प होगा: (अ) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("ई-वोटिंग") के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठकों में उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा; या (आ) नीचे बताए गए समय के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") के द्वारा:

इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	रुक्रवार, 1 मई, 2026 9:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)	
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	सोमवार, 4 मई, 2026 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)	

सुरक्षित लेनदारों की बैठक	ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, 31 मार्च, 2026
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	शुक्रवार, 1 मई, 2026 9:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)	
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	सोमवार, 4 मई, 2026 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)	

असुरक्षित लेनदारों की बैठक	ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, 31 मार्च, 2026
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	शुक्रवार, 1 मई, 2026 9:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)	
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	सोमवार, 4 मई, 2026 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)	

यह इक्विटी शेयरधारक जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुसूचित लाभगोत्री स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, मात्र वही सूचना में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने एवं इक्विटी शेयरधारकों की बैठक में सम्मिलित होने हेतु अधिकृत होगा। इक्विटी शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को कंपनी की प्रवक्त इक्विटी शेयर सूची में उनकी शेयरधारिता के अनुसार होगा।

यह सुरक्षित लेनदार जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 31 मार्च, 2026 को कंपनी के पास उपलब्ध असुरक्षित लेनदारों की सूची में दर्ज है, मात्र वही सूचना में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने एवं असुरक्षित लेनदारों की बैठक में सम्मिलित होने हेतु अधिकृत होगा। सुरक्षित लेनदार के वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 31 मार्च, 2026 को कंपनी पर बकाया राशि के अनुसार होगा।

यह असुरक्षित लेनदार जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 31 मार्च, 2026 को कंपनी के पास उपलब्ध असुरक्षित लेनदारों की सूची में दर्ज है, मात्र वही सूचना में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने एवं असुरक्षित लेनदारों की बैठक में सम्मिलित होने हेतु अधिकृत होगा। असुरक्षित लेनदार के वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 31 मार्च, 2026 को कंपनी पर बकाया राशि के अनुसार होगा।

इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार अपना वोट मात्र एक तरीके से ई-वोटिंग कर के डाल सकते हैं, अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग से या वीसी/ओएवीएम बैठक में ई-वोटिंग से। यदि वे रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प चुनते हैं, तो वे वीसी/ओएवीएम बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु उन्हें बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यदि वे दोनों तरीकों से वोट डालते हैं, तो रिमोट ई-वोटिंग से डाले गए वोट माने जाएंगे और वही प्रवक्त होगा, और वीसी/ओएवीएम बैठक में डाले गए वोट अनगण्य माने जाएंगे।

जिन इक्विटी शेयरधारकों ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंसिज ("आरटीए") के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि वे डीमेट मोड में प्रतिरक्षित शेयरों के मामले में अपने संबंधित डीपी के साथ और भौतिक मोड में प्रतिरक्षित शेयरों के मामले में आरटीए को लिखकर अपना ईमेल पता पंजीकृत कर लें।

वे इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार जो योजना या उपरोक्त बैठकों में विचार किए जाने वाले मामले के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बैठक की तिथि से कम से कम 7 (सात) दिन पूर्व - अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीमेट खाता संख्या (डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी)/फोलियो नंबर, ईमेल पता, पैन तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए - कंपनी को heg.scheme26@lnjibhilwara.com पर आवेदन लिखें।

ई-वोटिंग से जुड़े प्रश्नों के संबंध में, इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुपात में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु प्रोसेड्यूरल आरूढ़ क्लेरिफिकेशन और शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर सूत्री पल्लवी मन्ना, एजीपी, एनएसडीएल को अनुरोध भेज सकते हैं।

किसी अन्य प्रश्न हेतु, इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार बैठक की तिथि से कम से कम 7 (सात) दिन पूर्व heg.scheme26@lnjibhilwara.com पर अपना नाम, डीमेट खाता संख्या (डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी)/फोलियो नंबर, ईमेल पता, मोबाइल नंबर तथा पैन लिखकर अपना प्रश्न भेज सकते हैं। प्रश्नों का कंपनी यथाचित उत्तर देगी।

हस्ताक्षर/-
रितेश कुमार शर्मा,
दिनांक: 02.04.2026
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों एवं असुरक्षित लेनदारों की बैठकों हेतु नियुक्त अध्यक्ष